

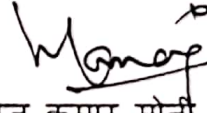
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर

क्रमांक एफ 4-9 /2014/29-1/1

दिनांक 27/03/2020

आदेश

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दृष्टिगत प्रशासकीय आवश्यकतानुसार राज्य में स्थित सभी पेट्रोल पम्पों में उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. इत्यादि का 25 प्रतिशत स्टॉक आगामी आदेश तक शासकीय उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा | यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा |

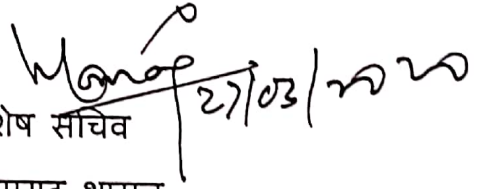

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव

पृ. क्रमांक एफ 4-9 /2014/29-1/1

दिनांक 27/03/2020

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव. माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. उपसचिव. मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन
4. आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
6. समस्त जिला कलेक्टर , छत्तीसगढ़ शासन
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक , छत्तीसगढ़ शासन
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा), छत्तीसगढ़।
10. राज्य स्तरीय समन्वयक (ऑइल मार्केटिंग कम्पनीज)


विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग